

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला- बालोद (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक-07749-222076 ई-मेल- govtcollbalod@rediffmail.com

वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए

// ऑन-लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सूचना //

दिनांक-16/08/2022

महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2022-23 के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऑन-लाईन छात्रवृत्ति आवेदन दिनांक 16/08/2022 से दिनांक 30/09/2022 तक आमंत्रित है।

ऑन लाईन आवेदन वेबसाइट-<http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> के माध्यम से किया जाना है। विद्यार्थी उक्त वेबसाइट के अतिरिक्त अन्य कोई वेबसाइट में ऑन लाईन करते हैं तो आवेदन शासन द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा।

अतः छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति आवेदन की हार्डकॉपी के साथ निम्नानुसार दस्तावेज सहित कक्ष क्रमांक 02 के खिड़की से निर्धारित तिथि दिनांक 01/09/2022 से दिनांक 03/10/2022 में प्रस्तुत करें :-

1. 10वीं, 12वीं एवं पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. सक्षम अधिकारी का स्थाई/अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. सक्षम अधिकारी का छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रति) (अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए आय सीमा- 2.50 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आय सीमा 1.00 लाख रुपये)
5. प्रवेश कार्ड एवं सभी शुल्क रसीद की छायाप्रति।
6. राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता क्रमांक पासबुक की छायाप्रति
8. आधार कार्ड की छायाप्रति।
9. अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने संबंधी शपथ पत्र मूल प्रति।

टीप :-

1. आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक कराना अनिवार्य है।
2. बैंक खाता के सामने कोई भी शून्य (0) नहीं होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं होगा।
3. शासन द्वारा कोई भी एक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है, अतः जिन्होंने पो.मे. छात्रवृत्ति को छोड़कर अन्य कोई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किये हैं, तो पा मै. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें।


Principal
प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय बालोद
R.G. College, Balod (C.G.)

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)

☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558

Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./131/2022-23/5592 नवा रायपुर, दिनांक 12/08/2023

: : सूचना प्रकाशन : :

वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी. आई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। छ0ग0 राज्य में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों की महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश विलम्ब से प्रारंभ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के फलस्वरूप तिथि में वृद्धि की जा रही है।

जिसके अंतर्गत संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है :-

क	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/ नवीनीकरण)	दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 30.09.2022
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 10.10.2022 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 20.10.2022 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022-23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Proposal Lock, Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोट :-

1. इस कार्यालय के पूर्व में जारी विज्ञापन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को National Scholarship Portal पर पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया गया था। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नये निर्देशानुसार अनुसूचित जाति वर्ग के सभी विद्यार्थियों को केवल राज्य पोर्टल पर ही आवेदन किया जाना है। पूर्व में जिन विद्यार्थियों द्वारा National Scholarship Portal पर आवेदन किया जा चुका है उन विद्यार्थियों को भी पुनः राज्य पोर्टल पर आवेदन किया जाना है।
2. वर्ष 2021-22 से छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जा रहा है। PFMS द्वारा आधार आधारित भुगतान की जा रही है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय आधार से लिंक बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

जीमती दुषा
16-8-22

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0